सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 285 राँची, सोमवार, 19 मार्च, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

13 अप्रैल, 2017 ई०।

संख्या-14/ए०-108/2013-2117-- महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राची के द्वारा नारायण सिंह के विरूद्ध चलायी गयी खगड़िया जिला विभगीय कार्यवाही सं०-13/2003 के आलोक में अंतिम आदेश हेतु मूल संचिका विभाग को उपलब्ध करायी गयी है ।

श्री नारायण सिंह के विरूद्ध दो आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया ।

1. श्री नारायण सिंह द्वारा खगड़िया थाना काण्ड संख्या-358/99, दिनांक 27 अगस्त, 1999 आमर्स एक्ट के अधीन जप्त दो देशी रायफलों में से एक को कारगर एवं दूसरे को नहीं बताया गया जबकि, उनके द्वारा दोना ही रायफलों की जाच की गयी थी एवं दोनों ही आग्नेयास्त्रों का निरीक्षण किया गया था और वे सही पाये गये थे । तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी जिसे उनके द्वारा असंतोषजनक पाया गया था ।

2. तत्कालन माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिश कुमार एवं राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह के खगड़िया जिला भ्रमण के क्रम में तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया ने माननीय मंत्रीगण के मानसी आगमन एवं आम सभा आयोजन स्थल एवं समस्त भ्रमण कार्यक्रम सड़क मार्ग से संपन्न किये जाने का

उल्लेख करते हुए श्री सिंह से सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया। किन्तु श्री सिंह द्वारा स्काट एवं पी०एस०ओ० को खगड़िया जिला सीमा पर न भेजकर मानसी भेज दिया गया ।

उपरोक्त दोनों आरोपों के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया । जाँच प्रतिवेदन में प्रथम आरोप के लिए तकनीकी कारणों से श्री सिंह को दोषी नहीं पाया गया तथा दूसरे आरोप के संबंध में जाँच पदाधिकारी द्वारा यह अंकित किया गया कि श्री सिंह द्वारा यह बताया जाना कि ''माननीय मंत्रीगण किस दिशा से आयेंगे, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, जिसके कारण ही स्काट पार्टी एवं को कतर्व्य में लापरवाही का दोषी पाया गया । परिचारी प्रवर जिम्मेदार एवं महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित रहते, उन्हें स्वयं सम्पर्क कर तद्नुसार वास्तविकता के आधार पर सही जगह पर स्काट पार्टी एवं पी०एस०ओ० तैनात करना चाहिए था, जो श्री सिंह द्वारा नहीं किया गया ।

श्री सिंह से प्रमाणित आरोपों तथा सेवा असंतोषजनक पाये जाने के बिन्दु पर उन्हें उचित जवाब देने का आग्रह किया गया। उक्त आग्रह के आलोक में श्री सिंह द्वारा कतिपय अभिलेखों की मांग की गयी, जिसे उन्हें उपलब्ध भी कराया गया । स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में उन्हें लगातार स्मारित किय गया। अंतिम रूप से उन्हें पत्र तामिला, विशेष दूत के माध्यम से करया गया । पुलिस मुख्यालय से प्राप्त तामिला प्रतिवेदन के द्वारा यह सूचित किया गया कि श्री नाराण सिंह सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक को उनके आवासीय पते पर दिनांक 20 मई, 2016 को पत्र का तामिला करा दिया गया ।

श्री सिंह के विरूद्ध विधिवत विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया । लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी श्री सिंह द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया ।

श्री सिंह के विरूद्ध कतर्व्य में लापरवाही को दोषा प्रमाणित पाया गया है, जो कतर्व्य के दौरान उनके असंतोषजनक सेवा का परिचायक है । उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सम्यक विचारोपरान्त पेंशन नियमावली के नियम 139 (ख एवं ग) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री नारायण सिंह, तत्कालीन परिचारी प्रवर सम्प्रति सेवा निवृत पुलिस उपाधीक्षक के पेंशन राशि में से आदेश निर्गत की तिथि से 5 प्रतिशत की राशि की कटौती अगले 03(तीन) वर्षो तक किये जाने का निर्णय लेते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है ।

2. उपर्युक्त आदेश पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदश से,

सुधीर कुमार उपाध्याय,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 285 -- 50